

340

229

N. 19

न्यायालय श्रीमान् राजस्व भैठक महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0



रीवा कैम्प

R - 482 - I / 2012

विशेषर चमार आत्मज रामदास चमार पेशा कृषि कार्य साठ शिवगढ थाना-सरई तह0-देवसर
जिला-सिंगरौली म0प्र0-----आवेदक

बनाम्

शासन म0प्र0-

अनावेदक

अधिकारी के द्वारा दिलाई गई अधिकारी के द्वारा दिलाई गई^{के द्वारा दिलाई गई}
दिलाई गई ।
मात्र १५३।
मात्र १५३।
8/12/2012

निगरानी खिलाफ आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला-सिंगरौली के निगरानी प्रकरण क्रमांक 30 / निगरानी / 09.10 आदेश दिनांक 21.12.2011 पारित अन्तर्गत धारा 50 मात्रका 1959

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मात्रका 1959

मान्यवर,

निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है:-

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रक्रिया तथ्य एवं सहज न्याय सिद्धांतों के खिलाफ होने से निरस्तगी योग्य है।

मात्र १५३।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R-482-I / 2012

जिला—सिंगरौली

विशेषर चमार/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 30/निग0/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	